बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

दिनांक 15.09.2017 को सम्पन्न बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यालयादेश संख्या–पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0–107/2015–15 दिनांक 12.10.2017 के तहत बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सांस्थानिक संरचना निम्नवत पुनर्गठित की जाती है–

Bihar State Water & Sanitation Mission (BSWSM)
Apex Committee
Executive Committee

Admin & Finance Wing
Administrative Officer

- Finance Manager(1)
- Manager Admin(1)
- Assistant Finance Manager(2)
- Accountant (2)
- Account Assistant (2)
- Cashier (2)
- DEO (2)

Project Monitoring Unit (PMU)
Director, PMU

1. PMC: Team Leader & Senior Consultants (12)
2. Special Projects including externally aided Projects
3. IT Cell: IT Manager (1)
   Consultant MIS (1)
   IT Assistants (3)
   DFO/Office Assistant (3)
4. Support Staff:
   Assistant Director (1), JE (3)
   Office Assistant (3), DEO (2),
   Other Support Staff (3)

Programme Implementation Unit (PIU)

All PH divisions
IT Assistant (1each division)
Account's Officer (1 each division)
Data Entry Operator (1 each division)

Water & Sanitation Support Organisation (WSSO) Director, WSSO

(A) WQM&S (DWT Labs), MIS/ Computerization, M&E, IEC& HRD, R&D, etc.

1. Consultant HRD (1)
2. Consultant IEC/ICT (1)
3. Consultant M&E (1)
4. Consultant Hydrogeologist (1)
5. Consultant WQM&S (1)
6. Monitor (4)
7. Accountant (1)
8. Data Entry Operator (5)

(B) PRANJAL (Training & Research Institute)

1. Director (1)
2. Joint Director (1)
3. DY. Director (4)
4. Field officer (4)
5. Consultants/ Specialists (8)
6. Software Programmer (2)
7. DEO (2)
8. Support Staff (13)

2- राज्य मिशन की सांगठिक संरचना में तीन विंग यथा (1) वित्त एवं प्रशासन विंग, (2) Programme Monitoring Unit (PMU) और (3) वाटर एण्ड सैनिटेशन सर्पोट आर्गनाईजेशन (WSSO) होंगे और एपेक्स समिति एवं कार्यकारी समिति के दिशा–निर्देश एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

3. राज्य मिशन के विभिन्न विंग में प्रावधानित पदों की अर्हताओं, मानदेय एवं अन्य नियोजन शर्तों का निर्धारण आवश्यकतानुसार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार/ बिहार सरकार/ बाह्य संपोषित योजना/ बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निरूपित दिशा–निर्देश/ मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप किया जायेगा।

4. विभाग अंतर्गत सभी लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (यांत्रिक तथा रूपांकण एवं योजना प्रमंडलों को छोड़कर) बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के परियोजना क्रियान्वयन युनिट (PMU) के रूप में गठित किया जायेगा।

5. राज्य मिशन की पुनर्गठित सांगठनिक संरचना के फलस्वरूप राज्य मिशन के कार्यालयादेश संख्या–127, दिनांक 23.08.2013 द्वारा गठित रिफॉर्म सर्पोट युनिट (Reform Support Unit (RSU)) विघटित हो जायेगी तथा कार्यालयादेश संख्या–116, दिनांक 30.05.2007 द्वारा गठित Communication & Capacity Development Unit (CCDU) का विलयन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका की कंडिका–10.1 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप Water and Sanitation Support Organisation (WSSO) में हो जायेगा।